नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 1979

सा० का० पि० 1461:—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्वारा लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज तथा श्रीमती मुचेता क्रुंपालानी श्रस्पताल, नई दिल्ली में समूह 'घ' के पढ़ों पर भर्ती करने की विधि को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात्:—

- 1. संक्षिप्त शीर्षक भीर प्रारम्भ :---(1) इन नियमों का नाम लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज भीर श्रीमती सुचेता क्रुपलानी ग्रस्पताल (समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 1979 है। `
 - (2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को लागू होंगे।
 - 2. जपायोजन:---ये नियम इस नियमावली के साथ संलग्न धनुसूची के स्तम्भ-1 में निर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
- 3. संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान:----पवों की संख्या जनका वर्गीकरण तथा वेतनमान वहीं होंगे जैसा कि मनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में निविष्ट हैं।
- 4. भर्ती की विधि, भायुसीमा, भर्तुंतायें मादि:--उक्त पवों पर भर्ती की विधि, मायुसीमा, मर्तृताएं तथा भ्रन्य बातें वही होंगी जैसा कि उक्त भनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 में निर्दिष्ट हैं।
 - 5. चपरासी के पद पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों को होम गाउँ के रूप में प्रशिक्षण देना:---

इन नियमों में किसी घन्य बात के होते हुए भी इन नियमों के धन्तर्गत जिन व्यक्तियों को चपरासी के पद पर नियुक्त किया जाएगा उनमें से प्रत्येक को तीन वर्ष की धविध के लिए होम गार्ड का घनिवाय प्रशिक्षण लेना होगा – परन्तु कमांडेंन्ट अनरल, होम गार्ड किसी व्यक्ति विशेष की प्रशिक्षण घविध में उसके कार्य द्वारा प्राप्त किए गये प्रशिक्षण के स्तर के संदर्भ में इस धविध को घटाने के कारणों को लिखित रूप में रिकार्ड कर उसे दो वर्ष कर सकता है।

- 6. ग्रनहैता:--कोई व्यक्ति--
- (क) जो किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करता/करती है भयवा विवाह की संविवा करता/करती है जिसका कि पति या जिसकी पत्नी जीवित हो, ग्रयवा
- (ख) जो व्यक्ति एक पति/एक पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह करता/करती है ग्रथवा विवाह की ृसंविदा करता/करती है सेवा में नियुक्त होने का पान्न नहीं है/होगर।

परन्तु केन्द्रीय सरकार यह समाधान होने पर कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति भीर विवाह के दूसरेपक्षकार पर लागू होने वाली स्वीय विधि के भ्रष्टीन भनुकेय है, भौर ऐसा करने के मन्य प्राधार है, किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

- 7. छूट देने की शक्ति:—जहां केन्द्रीय सरकार का यह विचार हो कि छूट देना मावश्यक था उचित है वहां वह संघ लोक सेवा मायोग के परामर्ग है भीर लिखित कारणों के माधार पर मादेश द्वारा किसी श्रेणी या वर्ग से संबंधित व्यक्तियों को इन नियमों के किसी उपबन्ध से छूट दे सकती है।
- 8. व्यावृत्ति:—इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति तथा विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये जिन आरक्षणों और अन्य रियायतों की व्यवस्था करना अपेक्षित है, उन पर इन नियमों की किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

	प्रमु सूची						
पद का नाम	पदों की सं क् या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद प्रथवा श्र च यन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की ग्रायु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए घपेक्षित शैक्षिक तथा धन्य घर्तृताएं	
1	2	3	4	5	6	7	
1. जपरासी/संवेश- बाहक	16	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'घ' ग्रराजपत्नित		लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच । (सरकारी कर्म जारियों के लिए 35 वर्ष तक शिथिलनीय) मोट :— प्रायुसीमा प्रव- प्रारित करने की निर्णायक तारीख प्रत्येक मामले में वह प्रतिम तारीख होगी जिस तारीख तक रोजगार कार्यालय की उम्मीद- वारों के नाम भेजने के लिए कहा गया हो।	माठवीं कक्षा उत्तीर्ण	

THE GAZETTE OF INDIA: DECEMBER 8, 1979/AGRAHAYANA 17, 1901

[PART II—SEC. 3(i)]

नध्र प्रतिनिधित्य करने के लिए सदस्य के रूप में एक प्रधिकारी

मह्योजित --सदस्य

1	. 2	3	4	5	6	7	
11. धोर्ची	7	— सामान्य केन्द्रीय मेवा सम्ह 'घ' ग्रगजपस्तिन	200-3-206- 4-231-द०रो०- 4-250 रुपये।	<u></u> लाग् नही हो ना	18 में 25 वर्ष के बीच (सर- कारी कर्मचारियों के मामले में 35 वर्ष तक शिथिलनीय) नोट:—आयु-मीमा श्रथश्चारित करने की निर्णायक तारीख प्रत्येक मामले में वह अंतिम तारीख होगी जिस तारीख तक रोजगार कार्योलय को	प्रतिवार्धः (1) व्यवसाय में 2 वर्षे अनुभव। (2) पाचवी कक्षा पास। नोटः अनुसूचित जाति/अन् जनजातियों के उम्मीदवार के में अनुभव संबंधी अहुँताएं प्राधिकारी के विवेक पर णिटि	नुसूखित मामले सक्षम
					उम्मीक्ष्यारों के नाम भेजनेकेलिए कहा गया हो।	हैं यदि सक्षम प्राधिकारी चय किसी ध्रवस्था में यह स हो कि इन अध्यिथियों के भारकित रिक्त पवों कों के लिए इन जातियों के ब्र मनुभव रखने वाले उम्मी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हों संभावना नहीं है।	ान की मझता जिए भरने पोक्षित
12 सफाई वाला/ सफाईवाली	126/ 120	गामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ध' ध्रराजपन्नित '	196-3-220- व॰गे०-3-232 ६	लाग् नहीं होता ज	18 से 25 वर्ष के बीच (सर- कारी कर्मचारियों के मामले मे 35 वर्ष तक णिथिलनीय)	वांछनीय [.] 5वीं कक्षा तक पास	
					नोट — बायु-सीमा श्रवधारित करने की निर्णायक नारीख प्रस्येक मामले में वह अंतिम तारीख होगी जिस		
					लारीख तक रोजगार कार्यालय को उम्मीदवारों के नाम भेजने के लिए कहा गया हो ।		
8	9 2 व र्ष	10 	<u>-</u>	11 		2 	
स्राग् नहीं होता	2 47	THAI THE		711 J. 181 61.11	श्रश्रीक्षक— (2) सनुसूचित अनुसूचित का प्रतिष् के लिए स	प्रध्यक्ष जाति तथा जनजाति क्षित्य करन दस्य के रूप प्रधिकारी	•
					(3) श्रम कर कारी		
लागू नहीं ही ता	2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	ī	लागू नहीं होता	 उप-चिधित्सा 	•	T
					3. श्रुनूचित । अनुसूचित । अनुसूचित	जनजर्गत	

				. _	
8	9	10	11	12	13
लागूनहीं होता	2 घर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लायू नहीं होता	(1) होस्टल वार्डन-धध्यक्ष (2) मुक्य प्रशासन श्रधि- कारी-सदस्य (3) उप-चिकित्सा श्रधी- क्षक-सदस्य (4) श्रम कत्याण श्रधि- कारी-सदस्य (5) श्रनुसूचित जाति तथा श्रनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्य करने के लिए सदस्य के रूप में एक श्रधि- कारी सहयोजित करना।	षाग्र नहीं होता

[सं० ए० 12018/4/78-जी०/एम० ई० (यू० जी०) हेस्क] जी० जी० के० नायर, हेस्क ग्रिधकारी

New Delhi, the 26th November, 1979

G.S.R. 1461.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'D' posts in the Lady Hardinge College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi:—

- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital (Group 'D' posts) Recruitment Rules, 1979.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Number, Classification and Scale of pay.—The number of posts, their classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in column 2 to 4 of the Schedule aforesaid.
- 4. Method of recruitment, age limit and other qualifications etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.
- 5. Persons appointed as peons to undergo training as Home Guards.—Notwithstanding anything contained in these rules, every person appointed as a peon under these rules shall undergo compulsory training as Home Guard for a period of 3 years;

Provided that the Commandant General Home Guards, may having regard to the performance of and standard of training achieved by any person during the period of training, reduce such period to two year for reasons to be recorded in writing,

- 6. Disqualifications—No person—
 - (a) who has entered into or contracted marriage with a person having a spouse living, or
 - (b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage, with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said post;

Provided that the Central Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these rules.

- 7. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 8. Saving.—Nothing in these rules shall effect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE
Recruitment Rules for Group 'D' post in Lady Hardinge Medical College & Smt. S.K. Hospital, New Delhi.

Name of post	No. of post	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selecti post	Age limit for direct recrultment	Educational and other qualifica tions required for direct recruits
1		3	4		6	7
1. Peon/Messenger	16	General Central Services Group 'D' Non-Gazetted	Rs.196-3-220- EB-3-232.	Not applicable.	Between 18—25 years. (Relaxable upto 35 years in the case of Government servants.) Note: The crucial date for determina- tion of age limit in each case will be the last date upto which employment Ex- changes are asked to nominate candi- dates.	Eighth Class Pass.

(3) One officer to be coopted as a member to represent the Sche-

Castes

the Scheduled Tribes

and

duled

-- Member.